न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 07 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट बनाम	रेसपोडेंटगण
1. पीराराम पुत्र बुधाराम 2. भींयाराम पुत्र बुधाराम 3. दौलाराम पुत्र पन्नाराम 4. हनुमानराम पुत्र पन्नाराम 5. रामु बेवा पन्नाराम 6. गोरखाराम पुत्र पन्नाराम 7. मादाराम पुत्र पन्नाराम अपीलकर्ता संख्या 06 व 07 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती समु बेवा पन्नाराम जाति देवासी निवासी जास्ती तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 8. बाबुराम पुत्र श्री सुराराम 9. सुखाराम पुत्र सुराराम 10. गालाराम पुत्र सुराराम 11. लेहरोदेवी बेवा धीराराम 12. ओमाराम पुत्र धीराराम 13. करनाराम पुत्र धीराराम 14. हीराराम पुत्र गोकलाराम 15. तेजाराम पुत्र गोकलाराम 16. जोधाराम पुत्र गोकलाराम 17. जडाव पत्नी सुराराम जाति देवासी निवासी ओ की ढाणी कोरना तहसील कल्याणपुरा जिला बाड़मेर	1. रूपाराम पुत्र इन्द्राराम 2. चौथाराम पुत्र इन्दाराम 3. भीयाराम पुत्र मगाराम 4. धगण्डाराम पुत्र मगाराम 5. कानाराम पुत्र लालुराम जाति जाट निवासी जास्ती 6. कगलादेवी पत्नी भुराराम जाति जाट निवासी वाडियों की ढाणी कोरना तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 7. सुराराम पुत्र मुलाराम 8. भंवराराम पुत्र सुरताराम 9. दीपाराम पुत्र सुरताराम 10. भाखराराम पुत्र सुरताराम 11. भोमाराम पुत्र सुरताराम 12. बाबुदेवी पत्नी गोरखाराम 13. सजनादेवी पत्नी गोकलाराम 14. भगवानाराम पुत्र गोकलाराम 15. रगेश पुत्र गोकलाराम 16. नरेश पुत्र गोकलाराम जाति देवासी निवासी जास्ती तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

265/2021 बजानवान रूपाराम बनाम पीराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ रेसपोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—26.04.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता संख्या 01 से 16 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 506/144 रकबा 03.07 बीघा, खसरा संख्या 337/144 रकबा 03.07 बीघा, खसरा संख्या 124 रकबा 104 बीघा, खसरा संख्या 125 रकबा 0.02 बीघा व प्रार्थी संख्या 03 से 06 के खसरा संख्या 496/419, 501/419, 498/306 में से समर्पित भूमि खसरा संख्या 495/419 रकबा 0.03 बीघा, बीघा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 497/336, विप्रार्थी संख्या 17 के नाम दर्ज है तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 16 के खसरा की खातेदारी खसरा संख्या 335/143 रकबा 17.08 बीघा में से रास्ता राजस्व गांव जास्ती पटवार हल्का गंगावास, भू अभिलेख क्षेत्र मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर में से संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट'अ' में बरंग लाल से मार्क ए से बी रास्ता कृषि प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 01 से 16 की खातेदारी खसरा संख्या 335/143 में से रास्ता के उपयोग हेतु इरादे से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एवं ए से सी प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 508/144 रकबा 0.03 बीघा व खसरा संख्या 337/144 0.03 बीघा में से रास्ता के उपयोग हेतु स्वीकृति प्रार्थीगण की होने से रास्ता दिलावे व मार्क सी से डी विप्रार्थी संख्या 17 श्रीमान तहसीलदार के नाम समर्पित भूमि खसरा संख्या 495/419 व 497/336 समर्पित सरकारी भूमि किस्म बारानी दोयम में किस्म रास्ता परिवर्तित कर रास्ता दिलाने के लिए प्रार्थना—पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2022 से स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 21.09.2022 को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना एकतरफा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2022 से स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 21.09.2022 को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया तथा मातहत अदालत को निर्देश दिये गये कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत पुनः निर्णय पारित करे एवं दिनांक 29.11.2022 को पत्रावली मुकर्रर करने के आदेश प्रदान किये गये थे परन्तु दिनांक 29.11.2022 को अपीलकर्ता के घर में विवाह होने के कारण व अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान के आदेशों की घोर अवहेलना कर दिनांक 16.12.2022 को हस्तगत प्रकरण में बिना सुनवाई किये ज्यों का त्यों आदेश पारित कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगे राजस्व नक्शे के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यदि मूल खसरा संख्या 337/144 के सेढे से खसरा संख्या 145 में गुजरने वाले आम रास्ते से यदि रास्ता दिया जाता है तो उक्त रास्ता वर्तमान प्रस्तावित नक्शे से कम दुरी का एवं नजदीकी रास्ता उपलब्ध होता है उक्त कम दुरी के रास्ते को संलग्न आवेदन पत्र पेश नक्शे में मार्क ए से ई के रूप में दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत कोई आदेश पत्रावली में पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 16 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2022 से रेस्पोडेंटस की रास्ते की मांग को स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो दिनांक 21.09.2022 को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया तथा मातहत अदालत को निर्देश दिये गये कि दोनों

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत पुनः निर्णय पारित करे एवं दिनांक 29.11.2022 को पत्रावली मुकरर्र करने के आदेश प्रदान किये गये थे। उसके बावजूद प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से अपीलांटगण जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो हस्तगत प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2022 से रेस्पोडेंटस की रास्ते की मांग को स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो दिनांक 21.09.2022 को स्वीकार कर अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया गया तथा मातहत अदालत को निर्देश दिये गये कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत पुनः निर्णय पारित करे एवं दिनांक 29.11.2022 को पत्रावली मुकरर्र करने के आदेश प्रदान किये गये थे। उसके बावजूद प्रकरण में नियत तारीख का अपीलांटगण को ज्ञान होने के बावजूद भी अपीलांटगण जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 265/2021 बअनवान रूपाराम बनाम पीराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर